RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : सोमवार 29 मई 2023 वर्ष 05 अंक 39 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

ऐसा रहा पीएम मोदी का दिनभर का कार्यक्रम, हवन पूजा, सेंगोल की स्थापना और फिर...

नए संसद भवन का उद्घाटन

महाराष्ट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों को सम्मानित किया। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और हवन और पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने संसद भवन में सेंगोल स्थापित कर 20 पंडितों से आशीर्वाद लिया. संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन-जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और

शक्ति प्रदान करेगी।

नए संसद भवन के उद्घाटन के दूसरे चरण में मोदी-मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने नई संसद में प्रवेश किया। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपना भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन ने करीब 30 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया है।

वहीं, विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। विपक्ष की मौजूदगी के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। राजद ने नए संसद भवन की ताबूत के साथ तस्वीर ट्वीट की, जिससे विवाद पैदा हो गया है। भाजपा ने कहा कि 2024 में जनता राजद को इसी ताबूत में गाड़ देगी .सेंगोल को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू को सौंपा गया था। नए भवन के इस उद्घाटन मौके पर संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी नएसंसद के उद्घाटन मौके पर धोती-कुर्ता पहने हुए नजर आए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नए संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की।

मुंब्रा के रतिबन्दर परिसर में कपडे और प्लास्टिक में लपेटी हुई एक अज्ञात महिला की लाश मिली

मुंब्रा : मुंब्रा के रतिबन्दर परिसर में कपडे और प्लास्टिक में लपेटी हुई एक अज्ञात महिला की लाश मिली है बताया जा रहा है कि लाश दो से तीन दिन की है कंडीशन काफी खराब है, डेड बॉडी पहले एक कपड़े में फिर प्लास्टिक में लपेट कर सेलो टेप लगा पोटला बना कर किसी रेतिबंदर खाड़ी से लग कर इस फेंक दिया पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है कि हत्या करने के बाद यहां पर लाकर फेक दिया है। आपको बता दे स्थानीय लोगो ने इसे देखा पहले तो कचरा समझा मगर बदबू आने की वजह पुलिस को फोन किया गया मौके पर पहुंची पुलिस पहुंची तो उसके अंदर एक महिला की लाश मिली है मृतक महिला को उम्र 20 से 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, एसीपी विलाश शिन्दे भी मौके पर पहुंचे, मुम्ब्रा पुलिस कानून प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वही पुलिस की इस मामले आगे जांच जारी है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संजय पवार ने क्या जानकारी दी है।

मीरा रोड में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

ठाणे: पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने शुक्रवार रात मीरा रोड इलाके में एक चाय की दुकान के पास एक जगह पर छापा मारा क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने के आरोप में मीरा रोड में पांच लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। नवघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने आरोपी को मौजूदा आईपीएल सीजन के एक मैच में सट्टा लगाते हुए पाया. उन्होंने कहा, ''पुलिस ने उनके द्वारा जुए में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों को जब्त किया है, जिसमें मोबाइल फोन और लैपटॉप शामिल हैं, मामले से संबंधित अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारी ने कहा, ''पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और महाराष्ट्र जुआ रोकथाम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है ।

ठाणे नगर निगम ने जर्जर इमारतों को खाली करने का आदेश दिया

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर में नगर निगम ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे जर्जर स्थिति वाली इमारतों में रहने वाले लोगों से तुरंत इमारतों को खाली करवाएं। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ठाणे नगर निगम आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने शनिवार को शहर में मानसून पूर्व की तैयारियों और जर्जर स्थिति वाली इमारतों का जायजा लेने के दौरान यह निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि शहर में कम से कम 86 जर्जर स्थिति वाली इमारतें श्रेणी 'सी-1' के तहत आती हैं, जिनमें से 37 को खाली कर दिया गया है और 49 में अभी भी लोग रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शहर में 'सी-1' श्रेणी की 192 इमारतें और भी हैं। उन्होंने बताया कि 'सी-1' और 'सी-2' इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति में कटौती की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि नगर निगम प्रमुख ने कहा है कि निगम जर्जर स्थिति वाली इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आवास ढूंढेगा, जबकि अनधिकृत जर्जर स्थिति वाली इमारतों में रहने वालों को अस्थायी रूप से विद्यालयों में ठहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 'सी-2' श्रेणी की इमारतों में रहने वालों को पास के विद्यालयों के पारगमन शिविर में ठहराया जाएगा। 'सी-2' श्रेणी को अभी खाली कराया जाना है।

मुंब्रा के कौसा में एक पुलिस की गाड़ी की टक्कर डिवाइडर से

मुंब्रा : मुंब्रा के कौसा में एक पुलिस की गाड़ी की टक्कर डिवाइडर से हो गई गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से छतिग्रस्त हो गया जानकारी के मुताबिक हादसा रात दो बजे के आसपास प्राइम हॉस्पिटल के नजदीक हुआ है । कुछ लोगो का कहना है जो पुलिस कर्मी गाड़ी चला रहा था उसका नियंत्रण खो जाने की वजह से गाड़ी रोड के डिवाइडर से टकरा गई हालांकि इस दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो और गाड़ी को डिवाइडर से हटाया गया बताया जा रहा है हादसे में किसी को चोट नही लगी हैं ।

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : सोमवार 29 मई 2023

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सेंगोल का इतिहास

कांग्रेस का यह दावा चकित करने के साथ ही कई सवाल खड़े करना वाला भी है कि स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो सेंगोल यानी राजदंड प्रदान किया गया था, उसका सत्ता हस्तांतरण से कोई संबंध नहीं। यदि यह सच है तो फिर नेहरू जी ने उसे स्वीकार क्यों किया था? बीते दिनों सेंगोल के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो फोटो जारी किए थे, वे तो यही बता रहे कि उसे समारोहपूर्वक नेहरू जी को सौंपा गया था। कांग्रेस बताए कि आखिर यह समारोह क्यों हुआ था और उसका क्या अभिप्राय था?

ध्यान रहे कि यह समारोह उसी समय हुआ, जब 15 अगस्त को आधी रात सत्ता हस्तांतरण हो रहा था। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि तमिलनाडु में निर्मित यह सेंगोल जवाहरलाल नेहरू और फिर उनके पास से इलाहाबाद संग्रहालय तक पहुंचा कैसे? समझना कठिन है कि कांग्रेस सत्ता हस्तांतरण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग की अनदेखी क्यों करना चाह रही है? कहीं इसलिए तो नहीं कि नेहरू जी ने सेंगोल को वह सम्मान नहीं दिया, जिसका वह हकदार था? वह उनकी निजी संपत्ति जैसा बन गया और फिर उसे इलाहाबाद संग्रहालय भेज दिया गया। वहां उसे सोने की छड़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया। नि:संदेह यह भी एक रहस्य है कि सेंगोल को राजदंड के स्थान पर चलने की छड़ी यानी बेंत के रूप में क्यों परिभाषित किया गया? कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि नेहरू जी सेक्युलरिज्म की जिस अवधारणा से प्रेरित थे, उसमें उन्हें सत्ता हस्तांतरण की यह प्राचीन परंपरा रास न आई हो। वस्तुस्थिति जो भी हो, कांग्रेस सेंगोल के इतिहास को जिस तरह वर्णित कर रही है, उससे यही लगता है कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा कि इस ऐतिहासिक राजदंड को इलाहाबाद म्यूजियम से लाकर संसद के नए भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जा रहा है। समस्या केवल यह नहीं है कि सेंगोल के इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया, बल्कि यह भी है कि उसे जनता से छिपाया भी गया। कोई नहीं जानता कि यह काम क्यों किया गया और कांग्रेस नए सिरे से उसमें भागीदार क्यों बन रही है? कांग्रेस अपने रवैये से यही प्रकट कर रही है कि उसे अपनी ही विरासत पर गर्व नहीं। अच्छा होता कि वह सेंगोल के मामले में विचित्र तर्क देने के स्थान पर मौन रहती, लेकिन शायद उसे अपनी विरासत के साथ देश की संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा करने की आदत सी पड़ गई है। उसकी इन्हीं आदतों के कारण यह कहा जाता है कि आज की कांग्रेस वह नहीं, जिसने देश को आजादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह अच्छा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने पहले संसद के नए भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का फैसला किया और फिर सेंगोल के इतिहास की अलग व्याख्या करने मे जुट गई।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मुंबई से आया 'द केरल स्टोरी जैसा मामला'!

लव जिहाद कानून न होने की वजह से बढ़ रही घटनाएं

मुंबई. मुंबई से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक वीडियो जारी करते हुए यह कहा है कि, मुंबई में भी फिल्म ह्यद केरल स्टोरीह्न लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है. किरीट सोमैया ने बताया कि भांडुप के रहने वाले किशन वड़ेला की 13 साल 8 महीने की नाबालिग लड़की को 19 साल का सैफ शाहरुख सलमानी नाम का लड़का भगा कर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लेकर गया. सलमानी के परिवार ने लकड़ी को प्रताड़ित किया. नेता ने बताया कि लड़के के परिवार ने बच्ची पर जबरन शादी करने का दबाव डाला. भांडुप पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के पिता ने इसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत की. जिसके बाद कार्रवाई में भांडुप पुलिस ने सैफ शाहरुख सलमानी को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को उसके परिवार के हवाले किया. लड़की

वालों का कहना है कि इस पूरे घटना में सैफ शाहरुख सलमानी के साथ उसका पूरा परिवार भी मिला हुआ है. जिसकी वजह से बच्ची के परिवार वाले सैफ के साथ साथ उसके घरवालों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

किशन वड़ेला ने 8 मई को मुंबई के भांडुप पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में किशन वड़ेला ने पुलिस को बताया कि 8 मई को सुहाना (पीड़िता का नाम बदलकर) की नानी हंसा राजवाड़ा ने उसे फोन कर बताया कि सुहाना रात करीब 10 बजे घर से वेफर लाने के लिए निकली थी, जिसके करीबन 1 घंटा बाद भी वह घर वापस नही पहुंची.

पुलिस की तरफ से की गई करवाई

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 12 मई को नाबालिग लड़की को आजमगढ़ से मुंबई लेकर पहुंची. पुलिस ने सैफ शाहरुख सलमानी को भी गिरफ्तार कर लिया है. सैफ शाहरुख सलमानी पर आरोप है कि उसने लड़की को अपनी पहचान छिपाकर जाल में फंसाया और बहला फुसलाकर भगा ले गया. सैफ लड़की के मुहल्ले में ही एक सैलून में काम करता था. इस घटना को लेकर पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सौम्या के साथ पीड़ित लड़की के पिता भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने मीडिया को पूरा घटनाक्रम बताया. इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य में लव जिहाद कानून नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है.

दक्षिण मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी आग, कोई हताहत नहीं

मुंबई. दक्षिण मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि भूलाभाई देसाई रोड स्थित ब्रीच कैंडी ह्यको-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीह्न की 12वीं मंजिल पर शनिवार रात 10 बजकर 24 मिनट पर आग लगी जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों ने इमारत की 12वीं मंजिल पर फंसे एक पुरुष और एक महिला को बचाया. उन्होंने बताया कि आग 15 मंजिलों वाली इमारत की 12वीं मंजिल पर स्थित दो फ्लैट तक सीमित रही. अधिकारी ने बताया कि आग लगने से 12वीं मंजिल पर दो रसोई गैंस सिलेंडर में विस्फोट हो गया.

महिला ने कुत्ते को प्रशिक्षित करने वाले व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, मामला दर्ज

ठाणे : नवी मुंबई पुलिस ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी, महिला के घर आकर उसके कुत्ते को प्रशिक्षित करता था। उसने बताया कि यह छेड़छाड़ पिछले दो महीनों से की जा रही थी। रबाले थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रशिक्षक, पीड़िता (20) के दीघा स्थित घर पर उसके कुत्ते को प्रशिक्षित करने जाता था और उससे पीने के लिए पानी मांगता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पानी देने के दौरान आरोपी प्रशिक्षक ने कथित तौर पर कई बार उसे गलत तरीके से छुआ तथा इसके बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी प्रशिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पति से ज्यादा कमाने वाली तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा

मुंबई सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला

मुंबई. मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने पति-पत्नी के अलग होने के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने के दावे को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महिला को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. ट्रायल कोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया था कि महिला अपने पूर्व पति से ज्यादा कमाती है इसलिए उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा. ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद महिला ने सेशन कोर्ट में याचिका दी थी. सेशन कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि महिला की इनकम अपने पूर्व पति से चार लाख रुपये ज्यादा है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीवी पाटिल ने कहा, ह्यइस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला किया है वह परिस्थितियों को देखते हुए सही है.ह्न कोर्ट ने कहा कि महिला की इनकम अपने पूर्व पति से चार लाख रुपये ज्यादा है. महिला ने साल 2021 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल किया था. उसका कहना था कि बच्चे के जन्म के बाद उसे जबरदस्ती मायके भेज दिया गया. इसके बाद एक कोर्ट ने पति से 10 हजार रुपये का गुजारा भत्ता हर महीने देने को कहा था, जिससे कि बच्चे का पालन-पोषण हो सके.

पत्नी के चरित्र पर शक के बाद हुआ था विवाद

महिला ने कोर्ट को बताया था कि जब वह गर्भवती हुई तो वह अपने पति के साथ रह रही थी. उसने यह भी कहा कि उसके पति का यौन अक्षमता के लिए इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी. जब उसके गर्भवती होने की बात पति व परिजनों को पता चली तो उन्होंने उसके चरित्र पर शक किया.

ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद महिला ने सेशन कोर्ट में याचिका दी थी. अदालत ने कहा कि यह बात सही है कि कमाऊ महिला को भी गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में परिस्थितियों पर गौर करना बहुत जरूरी है. अगर महिला अपने पूर्व पति से ज्यादा कमा रही है तो उसे गुजारे भत्ते की जरूरत नहीं है. वहीं अगर पति ज्यादा भी कमा रहा हो तो भी परिस्थितियों को देखना जरूरी है.

दिनदहाड़े गोली मारकर व्यक्ति की हत्या, आरोपी फरार

मुंबई : मुंबई के पश्चिमी उपनगर कांदिवली में रविवार को 28 वर्षीय एक व्यक्ति की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की घटना उपनगर के गणेश नगर इलाके में सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई। उन्होंने बताया कि गोली पीड़ित व्यक्ति के सिर में लगी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें पीड़ित और आरोपी सड़क किनारे एक-दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने बाद में पीड़ित पर कथित तौर पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

ठाणे में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार, FIR दर्ज

ठाणे : नवी मुंबई पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कथित तौर पर उसके साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले आरोपी ने 2018 में ह्यसेल्स गर्ल के रूप में काम करने वाली पीड़िता से दोस्ती की। पीड़िता तब नाबालिग थी। कोपरखैरने थाने के एक अधिकारी ने पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कहा कि उसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया। पीड़िता अब 20 साल की है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

जिसने दिया रहने की जगह उसी का गोडाउन किया कब्जा, रिवालवर दिखाकर धमकाया

मुंबई : कई साल पहले एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को रहने की मदद की उसके पास घर नही था अपने गोडाउन में एक छोटा सा घर बनाकर रहने के लिए दिया ।उसी ने उसकी जगह हड़पने की कोशिश की उसकी जगह पर रखे ट्रांसपोर्ट के सामन को बेच दिया और जब घर का मालिक जाय उसे अंदर नही आने दिया और रिवालबर दिखाकर धमकाया ।इस मामले में भायखला पुलिस ने जगह कब्जा करने वाले तांत्रिक बाबा पर मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

शिकायतकर्ता गोविंदजी गोपाल जी बडोर 71 वर्ष वडाला पश्चिम ,आरए के चार रोड स्तंभतीर्थ प्लाट नंबर 22 में अपने परिवार के साथ रहते है ।उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है ।शिकायतकर्ता के पिता गोपाल जी वडोर ने 1970 में बेलवड़े हिल रोड, जमजम टावर के सामने माझगांव में 5 हजार चौरस फुट की जगह खरीदा था ।उस समय उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था ।उस जगह पर क्रेन और अन्य सामान रखा जाता था ।1973 में शिकायतकर्ता के पिता का निधन हो गया ।2005 में परमवीर भट्टाचार्य (तांत्रिक बाबा) से मुलाकात हुई ।उनके पास रहने के लिए घर नही था ।मैंने अपने गोडाउन में से 150 फुट का एक घर बनाकर उनको रहने के लिए दे दिया ।साथ ही उनको देखभाल के लिए भी कह दिया ।शिकायतकर्ता ने 1985 से क्रेन को भाड़े पर देने का व्यवसाय शुरू किया था ।क्रेन का इंजन और कुछ पाट्र्स माझगांव के गोडाउन में रखा था ।2020 में लाकडाउन के समय शिकायतकर्ता ने गोडाउन में जाना बंद कर दिया था ।परमवीर के विश्वास पर जाना बंद कर दिया था ।2021 तक जब शिकायतकर्ता अपने माझगांव गोडाउन नही गए ।वहां के कई लोगो ने फोन कर बताया कि उनके गोडाउन का सब समान बेच दिया जा रहा है ।शिकायतकर्ता जब अपने गोडाउन गया उस समय परमवीर ने उसको गोडाउन के अंदर नही आने दिया और आने पर जान से मारने की धमकी दी ।6 मई को जब शिकायतकर्ता फिर गोडाउन पर गया तो उसे रिवाल्वर दिखाकर धमकाया ।शिकायतकर्ता के अनुसार 5 लाख 77हजार रुपये के बड़े पाइप और पुराने क्रेन का इंजन का पार्ट और पत्रा चोरी हुआ है ।साथ में एक लोहे की पेटी थी जिसमे कई महत्वपूर्ण कागजत भी थे वे भी गायब है ।इस मामले में भायखला पुलिस ने धारा 379,341 और 506 (2)के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

ठाणे पुलिस ने ठग को पकड़ा

ठाणे, पुलिस ने सस्ते सोना बेचने का झांसा देकर पैसा लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ठाणे पुलिस के निरीक्षक आनंद रौराने ने बताया कि भायखला के रहने वाले आरोपी सस्ते दाम में सोना बेचने का दावा करता था। इसके बाद जब लोग उसके झांसे में आकर पैसा लेकर आते थे तब आरोपी उन पैसों को लूट लेता था। आरोपी ने एक आदमी को चाकू दिखाकर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये लूट लिए थे। अधिकारी ने कहा कि गिरोह के अन्य व्यक्तियों को पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है।

नाइजीरियाई व्यक्ति को किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को एक 40 साल के नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिक के पास से पुलिस ने मेफेड्रोन जब्त किया है, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए आंकी गई है। टीम ने बताया कि माहिम रेलवे स्टेशन के पास नाइजीरियाई व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़ा था, उससे पूछताछ करने गए तो वह भागने लग गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

ठाणे में पावरलूम इकाई के मालिक से 1.13 करोड़ रुपये की ठगी

5 के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित एक पावरलूम इकाई के मालिक से कथित तौर पर 1.13 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। निजामपुरा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति ने 2013 से 2016 के बीच आरोपियों को कपड़े की आपूर्ति की, जिसके लिए उन्हें 1,13,61,662 रुपये का भुगतान करना था। 53 वर्षीय पीड़ित भिवंडी इलाके में पावरलूम इकाई का मालिक है।

अधिकारी ने पीड़ित के शिकायत के हवाले से बताया कि वह पिछले साल पांच अप्रैल को आरोपियों के पास अपना बकाया मांगने गया, लेकिन उन लोगों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने तथा हत्या करवाने की धमकी भी दी। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।

ठाणे में दृष्टिबाधित मां को पीटने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपनी दृष्टिबाधित मां को कथित तौर पर पीटने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। कुलगांव थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को वांगनी इलाके में हुई। अधिकारी ने बताया कि महिला (46) ठाणे नगर निगम में काम करती है। उनके पति का देहांत हो चुका है।

अधिकारी ने बताया कि महिला का बेटा बेरोजगार है। कुछ समय पहले पड़ोस की एक महिला को लेकर वह कहीं चला गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मां ने ही उसकी जमानत कराई थी। वह बेरोजगार था, इसलिए मां-बेटे के बीच अकसर झगड़ा होता रहता था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपनी मां के कथित तौर पर बाल पकड़कर उनको खींचा और उनका सिर दीवार पर दे मारा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

महाराष्ट्र : पालघर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, कोई हताहत नहीं

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में शनिवार को 3.3-3.5 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिला आपदा प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि 3.3 तीव्रता का पहला झटका शाम पांच बजकर 15 मिनट पर, जबकि 3.5 तीव्रता का दूसरा झटका शाम पांच बजकर 28 मिनट पर महसूस किया गया। उन्होंने बताया कि ये झटके जिले के तलासरी इलाके में क्रमशः आठ किलोमीटर और पांच किलोमीटर की गहराई में महसूस किए गए। अधिकारी ने बताया कि अभी तक भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

महाराष्ट्र में मॉनसून की होगी देरी से एंट्री, मौसम विभाग का आया नया अपडेट

मुंबईः दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे यही लग रहा है कि महाराष्ट्र में इसके आने में अभी कई दिन लगेंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश की भविष्यवाणी और आगे खिसक गई है। मौसम विशेषज्ञों और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने कहा इस साल केरल में मॉनसून की शुरूआत में देरी से महाराष्ट्र में इसके पहुंचने और फिर राज्यभर को कवर करने में 4-5 दिनों की देरी हो सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, पुणे के मौसम पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख अनुपम कश्यपी ने कहा, ह्लनवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का पैटर्न अगले 5-7 दिनों में अधिक क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा में मुड़ने की संभावना है। संकेत मिल रहे हैं कि 2-8 जून के आसपास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाएं और मजबूत होंगी, जो मॉनसून के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन फिर भी 8 जून तक महाराष्ट्र में अधिक बारिश नहीं होगी ह्व उन्होंने कहा, ह्लइसके बाद दोनों शाखाएं और

मजबूत होंगी, जिससे मॉनसून 9-15 जून तक कोंकण-गोवा और दक्षिण-मध्य मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए दक्षिण महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा।

आमतौर पर इस अवधि की मॉडल सटीकता कम होती है। लेकिन विस्तारित रेंज पूर्वानुमान में यही बात पता चली है ह्व उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान के अनुसार मानसून के 16-22 जून के दौरान महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से को कवर करने की संभावना है। कश्यप ने कहा, मुंबई और पुणे में मॉनसून कब दस्तक देगा, इसकी तारीखों का सही पता केरल में मॉनसून के पहुंचने के बाद चलेगा।

मॉनसून आमतौर पर 7 जून के आसपास दक्षिण महाराष्ट्र में प्रवेश करता है, जबकि यह 15 जून तक पूरे राज्य को कवर कर लेता है। लेकिन वर्तमान परिस्थियों को देखते हुए इस साल पूरे महाराष्ट्र में मॉनसून के पहुंचने में लगभग 4-5 दिन की देरी होने की संभावना है। यानी मुंबई में मॉनसून आमतौर पर 10 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस साल देरी के साथ 15 जून के आसपास पहुंच सकता है। एक अन्य भारतीय मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि मॉनसून सामान्य रूप से 8 जून के आसपास दक्षिणी महाराष्ट्र में पहुंचता है। हालांकि इस साल केरल में मॉनसून के आगमन में लगभग चार दिन की देरी होने वाली है और पूर्वानुमान बताते हैं कि यह देरी आगे भी जारी रहेगी। इसलिए मॉनसून के 8 जून के बाद ही महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण तब तक सभी को गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

महाराष्ट्र : ठाणे के एक होटल में बुजुर्ग की हत्या

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक होटल में वहां काम कर रहे एक कर्मचारी (वेटर) ने 65 वर्षीय बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना शनिवार को जंबली नाका इलाके में स्थित एक होटल में हुई जहां काराबाई रामभाई सुवा नामक व्यक्ति ने किराए पर कमरा लिया था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी होटल के कर्मचारी ने कथित तौर पर बुजुर्ग के चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग का शव कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला, जिसके बाद होटल के अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

अधिकारी ने बताया कि शव को बाद में पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया और आरोपी वेटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी वेटर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

20 फार्म हाउस पर छापा

बिजली विभाग की कारवाई

मुंबईः महाराष्ट्र के बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण लिमिटेड के अधिकारी ठाणे जिले के मुरबाड तहसील पहुंचे। यहां फार्म हाउस के साथ-साथ रिजॉर्ट्स पर छापेमारी की। विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उड़न दस्ते ने 20 फार्म हाउस पर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों को नौ फार्म हाउस बिना मीटर के पाए गए। यहां अवैध रूप से फार्म हाउस संचालकों ने 52,429 यूनिट बिजली की खपत की। विज्ञप्ति में बताया गया कि निरीक्षण के दौरान 30.46 लाख रुपए की बिजली चोरी सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि फार्म हाउस के मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बिल और जुमार्ना न भरने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह

बाल विवाह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर में बाल विवाह को रुकवाकर नाबालिग लड़की को आजाद करा दिया। पुलिस अधिकारी नीता पडवी ने बताया कि ग्रामीण पुलिस को जानकारी मिली थी कि अदालत के पास नाबालिग किशोरी की शादी होने वाली है। इसके बाद टीम सादे कपड़ों में मौके पर पहुंच गई। यहां पता चला कि युवती 18 साल से छोटी है। जबकि, युवक 19 साल का था। पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है।

'प्रेगनेंसी के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का अपमान'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला को दी गर्भपात की अनुमति

मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि महिला को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना बच्चे को जन्म देने की इच्छा व गरिमा के मौलिक अधिकार का अपमान है। साथ ही कोर्ट ने गर्भवती हुई पीड़ित महिला को 23 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अभय अहूजा व न्यायमूर्ति एमएम साठे की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला के बच्चा पैदा करने की इच्छा को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। एमटीपी के केस में महिला का अपने शरीर पर पूरा हक है। सर्वोच्च न्यायालय की यह बात मौजूदा मामले में पूरी तरह से लागू होगी। वैसे भी अभी महिला का भ्रूण 24 सप्ताह से ऊपर नहीं हुआ है। लिहाजा महिला को गर्भपात की इजाजत दी जाती है। खंडपीठ ने महिला को राहत देते समय उसकी जांच को लेकर पेश की गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भी विचार किया। यह रिपोर्ट कोर्ट के निर्देश के तहत पेश की गई थी। नियमानुसार,

20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इसलिए पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में महिला ने दावा किया था कि यदि उसे गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई, तो इससे उसकी मानसिक चिंता बढ़ेगी। वह दूसरे बच्चे की देखरेख करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए।

क्या है पूरा मामला ?

दुष्कर्म का शिकार पीड़िता ने अजय सूमरा नाम के शख्स से 2018 में शादी की थी। शादी के बाद पीड़िता को एक बेटा हुआ था। पीड़िता के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2022 को शराब के नशे में उसके पति ने उसे व उसके बेटे को पीटा। इससे दुखी पीड़िता ने रात में अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त के आने के बाद महिला बच्चे को लेकर उसके साथ चली गई। 23 अक्टूबर, 2022 को पीड़िता के दोस्त ने बच्चे की देखरेख व उससे शादी करने का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। बेबसी के चलते पीड़िता ने दोस्त का विरोध नहीं किया। कुछ समय बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। जब महिला ने अपने दोस्त को इसकी जानकारी दी तो, उसने महिला को गर्भपात कराने के लिए कहा। तीन महीने बीतने के बाद महिला के दोस्त ने उससे शादी करने से मना कर दिया। यही नहीं, उसने महिला को अपने गर्भवती होने की बात छिपाने के लिए भी दबाव बनाया। उसे धमकाया भी। दोस्त का कहना था कि जो बच्चा महिला के गर्भ में है, वह उसका नहीं है। इससे नाराज महिला ने आरोपी के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में धारा 376(2)(एन) व 506 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

विदेशी महिला के साथ-साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सजा

मुंबईः मुंबई घूमने आई पेरू की महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में कोर्ट ने मनचले को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। बायकुला पुलिस ने बताया कि इसी साल मार्च में पेरू की एक 38 साल की महिला अकेले भारत घूमने आई थी। वह मुंबई के एक गेस्ट हाउस में रुकी थी। यहां 19 साल का आरोपी भी काम करता था। इस दौरान उसने महिला के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई। सेल्फी लेते वक्त आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने इसके बाद थाने में केस दर्ज कराया और कोर्ट ने आरोपी को दो साल की जेल और पांच हजार के जुमार्ने की सजा सुनाई है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email -editor@rokthoklekhaninews.com